भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3101

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

निम्न-कार्बन परिवहन प्रणाली

†3101. श्री आदित्य यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में एक एकीकृत, प्रभावोत्पादक और समावेशी कम-कार्बन परिवहन प्रणाली की आवश्यकता से अवगत है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार ने देश में कम-कार्बन परिवहन प्रणाली के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

(i) बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट देने के लिए का.आ. 5333(ई), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के तहत अधिसूचना जारी की गई।

(ii) पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न प्रदान करने के उद्देश्य से बैटरी चालित वाहनों को शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए सा.का.नि. 525 (अ), दिनांक 2 अगस्त, 2021 के तहत अधिसूचना जारी की गई।

(iii) बैटरी चालित वाहनों के लिए परमिट शुल्क के भुगतान के बिना अखिल भारतीय पर्यटक परमिट देने हेतु सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के तहत अधिसूचना जारी की गई।

(iv) वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट की सुविधा प्रदान करने के लिए सा.का.नि. 167(अ), 1 मार्च, 2019 के तहत अधिसूचना जारी की गई।

(v) दिनांक 7 अगस्त, 2018 को जारी सा.का.नि.749 (अ) के तहत जारी अधिसूचना में परिवहन वाहनों के लिए बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण चिह्न को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में तथा अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में अधिसूचित किया गया है।

(vi) इसके अलावा, बिना बैटरी वाले दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 12 अगस्त 2020 को एक परामर्शी जारी की गई है।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि. 889(अ), दिनांक 16 सितंबर, 2016 के तहत ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-IV मानकों को आगे बढ़ाते हुए बीएस-VI मानदंड अधिसूचित किए। सरकार ने सा.का.नि. 27(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2024 के तहत सभी श्रेणी के वाहनों के लिए ई20 को मोनो ईंधन के रूप में भी अधिसूचित किया।

इसके अलावा, सरकार ने सीएनजी, जैव-सीएनजी, एलएनजी, ईवी, जैव ईंधन आदि जैसे गैर-जीवाश्म ईंधनों से चलने वाले मोटर वाहनों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए गैसोलीन, फ्लेक्स-फ्यूल, बायोडीजल, जैव-सीएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), गैसोलीन के साथ मेथनॉल के मिश्रण, दोहरे (डूएल) ईंधन, हाइड्रोजन आदि के संबंध में मास उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है।

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (पीएलआई ऑटो) और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए पीएलआई योजना सेल के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण को बढ़ावा देने में सहायक है।

*****